(1)

संख्या-1455/सोलह-1-2017-9(बजट-1)/2011

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांकः 27 अप्रैल, 2017

विषयः **वित्तीय वर्ष-2017-18 के प्रथम पाँच माहों के लिए स्वीकृत वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य मदों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वेतन भत्तों को छोड़कर अन्य मदों पर प्रथम पाँच माहों में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु रू0 10,87,000.00 (रूपये दस लाख सत्तासी हजार मात्र) को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'एच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित मदों में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन किया जायेगा।

3- इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होंगी।

4- इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

5- अवमुक्त धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

-2-

6- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- '2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्रांक-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 2.1.2017 एवं पत्रांक-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव

संख्या-1455(1)/सोलह-1-2017-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मंडल।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(8) वित्त ई-11 / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
अनु सचिव

संख्या- 2625/सोलह-1-2017-9(बजट-1)/201

प्रेषक,

सुरजन,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष-2017-18 के अंतर्गत अवशेष सात माहों के लिए स्वीकृत के सापेक्ष वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य मदों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वेतन भत्तों को छोडकर अन्य मदों पर अवशेष सात माहों में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु रूपये 15,24,000.00 (रूपये पन्द्रह लाख चौबीस हजार मात्र) को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार अनुमोदित मदों पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित मदों में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन किया जायेगा।

3- इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए की शर्तें भी लागू होंगी।

4- संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

5- इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-112-इन्जीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-764(1)/दस-2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)

विशेष सचिव

संख्या- 3635 (1)/सोलह-1-2017-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) जिलाधिकारी, कानपुर।

(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।

(5) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मंडल।

(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11 / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।